न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

भू–हदबंदी वाद सं0–15/19–20
संतोष सिंह वगै0 बनाम अनिता देवी वगै0

आदेश की क्रम एवं तारिख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20.1.2021	यह वाद श्री संतोष सिंह, जयप्रकाश सिंह एवं शत्रुधन सिंह, पिता–स्व0 बंधन सिंह, साकिन–खाप, पोस्ट–हफुआ, जिला–चतरा द्वारा भू–हदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) (1) के तहत् निबंधित विक्रय विलेख संख्या–665/2019 दिनांक–13.06.2009 द्वारा क्रेता श्रीमती अनिता देवी पति–श्री मनोज कुमार, ग्राम–चतरा लाईन मुहल्ला मेन रोड चतरा विक्रेता श्री परशुराम सिंह, श्री शंकर दयाल सिंह एवं श्री सागर प्रसाद सिंह तीनों पिता–स्व0 नबाब सिंह, साकिन खाप, प्रगना अहुरी, थाना–चतरा, जिला–चतरा के मौजा–खाप, थाना नं0–229, खाता संख्या–06, प्लॉट संख्या–07, रकवा–0.84 एकड़ अंतरित भूमि के विरूद्ध स्वयं को प्रथम क्रयाधिकार का दावा हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। इस हेतु केवाला संख्या–665/19 में अंकित विक्रय मुल्य 4,00,000.00 (चार लाख रूपये) एवं 10 प्रतिशत 40,000.00 कमीशन की राशि कुल रूपये 4,40,000.00 (चार लाख चालीस हजार) रूपये चालान द्वारा कोषागार के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति एवं केवाला संख्या–665/19 कीा सच्ची प्रति के साथ वाद दायर किया गया है। उक्त के आलोक में यह वाद न्यायालय, भूमि सुधार, चतरा में प्रारम्भ किया गया है। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकारों को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षों द्वारा न्यायालय में संयुक्त सुलहनामा आवेदन समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित अभिकथन मे उल्लेखित किया है कि–हमलोग संतोष सिंह, जयप्रकाश सिंह एवं शत्रुहन सिंह, ग्राम–खाप, थाना–चतरा, जिला चतरा के परशुराम सिंह, शंकर दयाल एवं शंकर प्रसाद के जमीन अनुलग्नक–1 में वर्णित भूमि (खाता संख्या–06, प्लॉट संख्या–07, रकवा–0.84 एकड़, चौहदी–**उतर**–संतोष सिंह, **दक्षिण**–शत्रुहन सिंह, **पूरब**–ईश्वर सिंह एवं अन्य, **पश्चिम**–ईश्वर सिंह एवं	

अन्य) के रकवा–0.84 एकड़ भूमि के साथ लगे हुए जमीन का सह–हिस्सेदार/अरिया रैयत है। उक्त रैयतों ने साकिन कस्बे–लाईन मुहल्ला चतरा मेन रोड, थाना+पो0–चतरा के निवासी जो कि सह–हिस्सेदार नहीं है, अनिता देवी, पति–मनोज कुमार को निबंधित डीड नं0 665 के माध्यम से दे दिया है। यह आवेदन हमलोग कर रहे है कि जो भूमि हस्तांतरण किया गया है वही भूमि हमलोग को डीड में निर्धारित शर्त के आधार पर हस्तांतरण किया जाना चाहिए। यह है कि हमलोग को तत्काल प्रभाव से भूमि पर काबिज होने हेतु घोषित किया जाय। प्रथम पक्ष के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि विपक्षी संख्या–01 न ही सह–हिस्सेदार और न ही खरीद किये गए जमीन के साथ लगा हुआ रैयत है। खरीदार विपक्षी संख्या–01 ग्राम–खाप का निवासी भी नहीं है। आवेदक द्वारा आवेदन स्वीकृत कर विपक्षी को आदेश दिया जाय कि आवेदक के नाम से भूमि हस्तांतरण हेतु सेल डीड निर्गत करें।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं ने अपने संयुक्त सुलहनामा आवेदन में लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि उक्त वाद में उभय पक्षों के बीच न्यायालय के बाहर आपसी शुभचिन्तकों के मध्यस्थता से आपस में सुलह समझौता कर लिये है तथा मुकदमा नहीं लड़ना चाहते है। यह कि आवेदकगण के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध खाता सं0–6, प्लॉट सं0–7, रकवा–84 डिसमिल जमीन मौजा कामत, थाना–चतरा, थाना नं0–229, तौजी नं0–28, खेवट नं0 हाल 1, जिला–चतरा के अन्तर्गत एक सिलिंग का मुकदमा दायर किया है जिसका जिक्र वाद पत्र में किया गया है। यह कि न्यायालय द्वारा वाद की प्रवृष्टि के पश्चात् तथा नोटिस निर्गत के बाद विपक्षी संख्या–1 अनिता देवी द्वारा नोटिस प्राप्ति के पश्चात् न्यायालय में उपस्थित हुई है। यह कि विपक्षी संख्या 1 अनिता देवी विपक्षी संख्या–2 ता 4 परशुराम सिंह वगैरह से निबंधित केवाला नं0 665/2019 के द्वारा प्रश्नगत् भूमि का खरीद किया है। यह कि उभय पक्ष के बीच सुलहनामा के तय शुदा शर्तो के मुताबिक विपक्षी संख्या'1 अनिता देवी द्वारा आवेदकगण के पक्ष में प्रश्नगत् भूमि जो वाद पत्र के सिडुल 1 में वर्णित है का केवाला निबंधन कार्यालय चतरा में कर चुके है तथा केवाला का रकम इस वाद में आवेदकगण के द्वारा ट्रेजरी में चलान से जमा रकम से चुक्ति होगा जिसे विपक्षी संख्या–1 अनिता देवी निकालेगी। इसमें आवेदक या आवेदक के वारिस को कोई विरोध न होगा न करेंगे। यह कि मुकदमा लड़ने से नाहक परेशानी होगी। इसलिये उभय पक्ष आपस में सुलह समझौता कर लिये है तथा मुकदमा नहीं लड़ना चाहते है। यह कि प्रश्नगत भूमि का विवरण संयुक्त सुलहनामा के आवेदन पत्र में सूचि में वर्णित है। यह कि आवेदकगण के द्वारा केवाला में वर्णित जरसम्मन के बावत चालान के माध्यम से कोषागार में रूपये जमा किया गया है जिस पैसा

को विपक्षी अनीता देवी निकालने या पाने की अधिकारी है। श्रीमान से प्रार्थना है कि उभय पक्षों के द्वारा दाखिल संयुक्त सुलहनामा के आधार पर सुलहनामा को निर्णय का अंश वाद को निस्तारण करने तथा विपक्षी सं0 1 अनीता देवी को ट्रेजरी में में आवेदन के द्वारा इस मुकदमा हेतु जमा राशि निकालने को अधिकृत करने की कृपा की करें।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के संयुक्त सुलहनामा आवेदन अनुरोध के आधार पर वाद की कार्यवाही बंद की जाती है। आवेदक, चलान द्वारा जमा की गई राशि प्राप्त कर लें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

20.1.2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

20.1.2021

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2022.02.15 05:02:23 -08:00
Location: 2401:4900:3840:6347:4813:47ca:9b65:19dc